राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1039/2020

राजेश्वर दयाल गर्ग —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (ट्रेंनिग), तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2020
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 21.02.1990 (अनुलग्नक–1) द्वारा नियुक्त किया गया, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 6 पर और महेश चंद यादव को क्रम संख्या 7 पर रखा गया। दिनांक 19.06.1993 की अंतिम वरिष्ठता सूची गलत तरीके से तैयार की गई और अपीलार्थी को महेश चंद यादव के नीचे गलत तरीके से रखा गया। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2003 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर अस्थाई कनिष्ठ लिपिकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधन बाबत् निवेदन किया गया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आदेश दिनांक 07.09.1994 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को स्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 11.10.1994 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष समान अभ्यावेदन/पत्र दायर किया। इस गलत वरिष्ठता के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया जबकि उससे कनिष्ठ महेश चंद यादव को आदेश दिनांक 04.01.1996 (अनुलग्नक–5) द्वारा पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी को बाद में धारा 17 सीसीए के तहत आरोप–पत्र लंबित होने के कारण पदोन्नत किया गया था। जांच में असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड पारित किया गया था। चूंकि पदोन्नति में देरी प्रत्यर्थी विभाग की गलती के कारण हुई थी, इसलिए अपीलार्थी की वरिष्ठता महेश चंद यादव के ऊपर और श्रीचंद मोरवानी के नीचे समान होनी चाहिए थी। अपीलार्थी और महेश चंद को दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक–6) की अंतरिम वरिष्ठता सूची में सहायक प्रशासनिक

अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी को महेश चंद के नीचे रखा गया है। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 06.07.2020 (अनुलग्नक–7) द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अपीलार्थी को पदोन्नति के वरिष्ठता अधिकार से वंचित होना पड़ेगा तथा अंतिम वरिष्ठता सूची में विलंब होने के कारण पदोन्नति में देरी हो जाएगी। विभाग ने अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आदेश दिनांक 21.08.2020 (अनुलग्नक–8) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 33 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला एल–11 (37800–119700) में पदभार ग्रहण करने की दिनांक डीपीसी वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जसमें महेश चन्द यादव का नाम क्रम संख्या 5 पर अंकित किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की वरिष्ठता आदेश दिनांक 21.02.1990 के अनुरूप संशोधन करने के आदेश फरमावे एवं आदेश दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक–6) एवं 21.08.2020 (अनुलग्नक–8) को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्ष 1993 में जारी की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 08.01.1999 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई थी तथा पदोन्नत पद पर दिनांक 04.02.1999 को पदभार ग्रहण लिया गया था। इस पद पर पदोन्नति पश्चात् वरिष्ठ लिपिक के पद पर भी वरिष्ठता प्रदान की जाकर उसके आधार पर उच्च पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डी.पी.सी. वर्ष 2018–19 में पदोन्नति पर पदभार ग्रहण कर चुके है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1993 में जारी की गई कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची के आधार पर दो पदोन्नतियां (वरिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी) प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तुत की है तथा अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की है जिसे विभाग द्वारा दिनांक 28.09.1994 के द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है तथा इस वरिष्ठता सूची को इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक–6) एवं आलौच्य आदेश दिनांक 21.08.2020 (अनुलग्नक–8) को चुनौती दी गई है एवं नियुक्ति आदेश दिनांक 21.02.1990 के अनुसार वरिष्ठता संशोधित करने का अनुतोष चाहा है। आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2020 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की दिनांक 01.04.2020 के संदर्भ में अस्थायी वरिष्ठता सूची है और आदेश दिनांक 21.08.2020 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश है, जो विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर जारी किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन के समय अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश में वरिष्ठता क्रम संख्या 7 पर थी और श्री महेश चन्द यादव की वरिष्ठता क्रमांक 8 पर थी (अनुलग्नक–1) और विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थाई घोषित करने हेतु आदेश दिनांक 07.09.1994 (अनुलग्नक–3) में महेश चन्द यादव को अपीलार्थी से उपर रखा गया, जो नियमानुसार गलत है जबकि नियुक्ति आदेश के अनुसार अपीलार्थी महेश चन्द यादव से वरिष्ठ है, परन्तु प्रस्तुत अपील में इस आदेश दिनांक 07.09.1994 को चुनौती नहीं दी गई है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1994–95 की रिक्तियों के विरूद्ध किए गए पदोन्नति आदेश दिनांक 04.01.1996 में निजी प्रत्यर्थी महेश चन्द यादव का नाम क्रम संख्या 11 पर अंकित है, जबकि अपीलार्थी का नाम पदोन्नति आदेश में शामिल नहीं किया गया है। अपील से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस पदोन्नति आदेश दिनांक 04.01.1996 को भी चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी ने इस पदोन्नति आदेश 07.09.1994 को इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है। दण्डादेश की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2020 सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की है, जिसमें महेश चन्द यादव का नाम क्रम संख्या 7 पर अंकित है। अपीलार्थी का क्रम संख्या 31 पर अंकित है, जिसमें महेश चन्द यादव की पदोन्नति वर्ष 2015–16 में अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2016–17 में होना अंकित है, को चुनौती दी है, परन्तु प्रस्तुत अपील में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश के अनुसार जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं होता है। अस्थाई वरिष्ठता सूची के पश्चात स्थाई वरिष्ठता सूची जारी हुई। साथ ही अपीलार्थी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त

प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 21.08.2020 को चुनौती दी गई है। इस पदोन्नति आदेश में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता के अनुसार पात्र कार्मिकों को पदोन्नत किए जाना पाया जाता है, जिसमें हम कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है। विभागीय आदेश में जारी दण्डादेश का भी अपीलार्थी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। अतः उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2020 एवं दिनांक 21.08.2020 में कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)